न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 01/2019

1. कैलाशचंद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. हुक्मीचंद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामावतार पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. मनमोहन पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू, जिला जयपुर दिनांक 11.07.2017 जिसके द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया एवं इसके क्रम में स्वीकृत नामा. संख्या 259 दि. 14.07.2017)

उपस्थितः–

1. श्री सत्यप्रकाश पारीक, अभिभाषक, अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः 03.07.2019**

ग्राम छांदेल कलां, तहसील–चाकसू की आराजी खसरा संख्या कुल किता 22 रकबा 11.31 हे0 के खातेदार–काश्तकारों ने राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार, चाकसू के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर उनकी आराजी का आपसी सहमति से बंटवारानामा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसे दिनांक 11.07.2017 को स्वीकार कर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। आदेश दिनांक 11.07.2017 के अनुसरण में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 259 भरकर पेश किया है जिसे तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिनांक 14.07.2017 को स्वीकार किया गया है, से व्यथीत होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्टस् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

Scanned by CamScanner

उभय–पक्षों द्वारा दिनांक 04.06.2019 को जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वरवक्त तकासमा तैयार की गई कुरेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1034/1210 व खसरा नंबर 1035/1211 जो अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि है और हमारी आराजी के दक्षिणी पूर्वी साईड में है, को प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के वक्त तैयार किये गये नक्शा ट्रेस में सहवन से लोपित कर हमारी सह–खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1034 एवं 1035 में शामिल करके तकासमा कर दिया। पक्षकारों ने गांव के मौजीज व्यक्तियों के समझाने पर लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे। उभय पक्षों ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा की पुष्टि की और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मीट्स एंड बाउन्डस के आधार पर पुनः विधिवत तकासमा करवाये जाने की आज्ञा दी जावे। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक श्री सत्यप्रकाश पारीक एवं रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा ने राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2019 के संबंध में संयुक्त रूप से सहमति प्रकट करते हुए पुनः मीट्स एंड बाउन्डस के आधार पर विधिवत तकासमा कराये जाने की ईस्तदुआ की।

हमने उभय–पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उभय–पक्षों द्वारा किया गया यह कथन कि सहवन से आराजी खसरा नंबर 1034/1210 एवं खसरा नंबर 1035/1211 प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के वक्त तैयार किये गये नक्शा ट्रेस में सहवन से लोपित कर सह–खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1034 व 1035 में शामिल करके तकासमा कर दिया जबकि यह आराजी अन्य खातेदार की है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 से होती है जिसमें आराजी खसरा नंबर 1034/1210 एवं खसरा नंबर 1035/1211 जगदीश पुत्र बिहारीलाल, कौम–ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है। किसी अन्य खातेदार की आराजी बिना किसी विधि–सम्मत आधार के अन्य को नही दी जा सकती है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आराजी खसरा संख्या कुल किता 22 रकबा 11.31 हे0 सम्बन्धी निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं इसके क्रम में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 259 आराजी खसरा संख्या कुल किता 22 रकबा 11.31 हे0 की सीमा तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस व समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि–सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner